

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अतिमहत्वपूर्ण

सभी मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।

E-mail

FAX

मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र,
F.F.P बिल्डिंग, धुर्वा, राँची।

अंतिम

स्मार

उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
झारखण्ड, राँची।

प्रबन्ध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, राँची।

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रशासक नगर निगम, राँची।

राँची/दिनांक :-.....

विषय :- विभिन्न सिंचाई प्रमण्डलों/अंचलों/कार्यालयों से संबद्ध सेवानिवृत्त कनीय अभियन्ताओं के पेंशनादि/सेवान्त लाभ के सभी लम्बित मामलों के निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-485 दिनांक-09.02.18 अनुवर्ती स्मार पत्रांक-1704 दिनांक-20.06.18, 1819 दिनांक-29.06.18, 2278 दिनांक-28.07.18, पत्रांक-3660 दिनांक-30.10.18 एवं स्मार पत्रांक-3804, दिनांक-12.11.18 एवं अंतिम स्मार पत्रांक-3864 दिनांक-22.11.18

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों एवं निर्गत अंतिम स्मार पत्रांक-3864, दिनांक-22.11.18 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मुख्य अभियन्ता प्रक्षेत्रवार सेवान्त लाभ से संबंधित यथा याचित समेकित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा office & Management की आहूत विभिन्न बैठकों में इसे काफी गंभीरता से लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि पूर्व प्रेषित प्रासंगिक पत्रों द्वारा विहित प्रपत्र मे समेकित याचित प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से दिनांक-14.12.18 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना

सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मार्च 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कनीय अभियंताओं के ऑन लाइन पेंशन प्रपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा करने से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा इस निमित्त हुए विलंब की सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। यहाँ सूचित करना है कि मुख्य अभियंता द्वारा प्रेषित समेकित विवरणी ही मान्य होंगे। अंचल अथवा प्रमंडल से प्राप्त अलग-अलग विवरणी मान्य नहीं होंगे।

2. इसके साथ ही यदि किसी सेवा निवृत्त/मृत/कार्यरत कनीय अभियंता की देयता के बावजूद ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० लंबित है तो विधिवत प्रस्ताव सभी वांछित अभिलेख/सेवापुस्त के साथ निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करायी जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 4060

राँची, दिनांक:- 07/12/18

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-1 के प्रधान आप्त सचिव/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

 7/12/18

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव